न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/1629 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 233/2010-11/अपील.

सुरेशचन्द्र तिवारी पुत्र श्री हरप्रसाद
निवासी- बुजुर्ग रोड, डबरा,
जिला ग्वालियर, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

1. मिथलेश कुमार पुत्र श्री केशवदयाल
   निवासी- केशव ठाकुर, बाबा रोड, डबरा,
   जिला ग्वालियर, म.प्र.
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर
   जिला ग्वालियर, म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 09.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 107 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम तिघरू तहसील डबरा में स्थित भूमि सर्वे क्र. 16/5, 16/6 एवं 17 बंदोबस्त के बाद नवीन सर्वे क्र. 108, 109 तथा 110 भूमिस्वामित्व की भूमि थी। बंदोबस्त के बाद उक्त भूमि पर गलती से 112 तथा 113 अंकित हो गया तथा नक्शे में भी हो गया, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई। अत: उक्त प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्र. 108, 109 एवं 110 को यथास्थिति रखी जाये। कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्र. 193/2009-10/बी-121 दर्ज कर आवेदन पत्र की जांच अधीक्षक भू-अभिलेख, ग्वालियर से कराई गई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद कलेक्टर द्वारा दिनांक 01.12.2010 को आदेश पारित करते हुए प्राप्त प्रतिवेदन के आधार अभिलेख तथा नक्शे में संशोधन किये जाने का आदेश दिया गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 09.05.2017 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गई थी, वह अवधि बाह्य थी। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम परिसीमा के बिन्दु का निराकरण किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। इसलिए अपील में पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्र. 1 पक्षकार नहीं थे और न ही उनके द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अपीलीय न्यायालय से प्राप्त की गई है। ऐसी स्थिति में अपील प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य ही नहीं थी। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक क्र. 1 द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई थी, उसमें आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गई, जबकि संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि आपेक्षित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में अपील विचार योग्य ही नहीं है। अत: आपेक्षित आदेश के अभाव में पारित आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीक्षक भू-अभिलेख जांच प्रतिवेदन में कई पक्षकारों के नामों का उल्लेख किया गया है, किन्तु अपीलीय न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए वर्तमान प्रकरण में पक्षकारों के कुसंयोजन का दोष था, जिस पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचार नहीं किया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि तकनीकी आधार पर पक्षकार को न्याय से

वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी माना है कि अनावेदक क्र. 1 को विचारण न्यायालय ने सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को प्रकरण पुन: सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए था अथवा स्वयं साक्ष्य ली जानी चाहिए थी, किन्तु प्रकरणमें न तो साक्ष्य ली गई है और न ही प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया है। अत: अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का आदेश नितांत अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौके पर जॉच के समय सभी प्रभावित पक्षकारों को सूचित किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है और न ही विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। इसलिये अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है। अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 9-5-2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर